इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, सोमवार दिनांक 31 जनवरी 2011—माघ 11, शक 1932

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2011

क्र. एफ-5-2-11-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 23, में, उपनियम (3) में, खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ट क) (एक) धारा 48-ख की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार, किसी सोसाइटी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के आरक्षण के निर्धारण हेतु प्रकिया निम्नानुसार होगी:—

(क) किसी सोसाइटी से अन्य सोसाइटी में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के लिए वर्गवार निर्धारण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सदस्यों के अनुपात में किया जाएगा जो किसी भी प्रकार से प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

(ख) किसी सोसाइटी से अन्य सोसाइटी को भेजे जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारण करने के पश्चात्, प्रथमत: उन सोसाइटियों, जिसको प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, के नाम उल्लिखित करते हुए पृथक् पर्चियां तैयार की जाएंगी और द्वितीयत: रिटर्निंग आफिसर, संचालक मण्डल/भारसाधक अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष इस प्रकार तैयार की गई पर्चियों की ऐसी संख्या, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उन प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर पैरा (ग) में उल्लिखित क्रम में निकाली जाएंगी.

(ग) सर्वप्रथम, अनुसूचित जातियों के प्रवर्ग से संबंधित प्रतिनिधियों की ऐसी संख्या की पर्ची निकाली जाएगी जैसे कि सोसाइटियों के नाम जो ऐसी पर्चियों में उल्लिखित किए गए हैं, अनुसूचित जातियों के वर्ग के प्रतिनिधि ऐसी सोसाइटियों में निर्वाचित किए जाएंगे और तत्पश्चात् अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रतिनिधियों की ऐसी संख्या की पर्ची निकाली जाएंगी जैसे कि सोसाइटियों के नाम जो ऐसी पर्चियों में उल्लिखित किए गए हैं, अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग के प्रतिनिधि ऐसी सोसाइटियों में निर्वाचित किए जाएंगे.

(घ) उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा निकाली गई पर्ची पर, ''अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित'', जो लागू हो, अंकित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा पर्चियां, जो उपयोग में लाई गई हैं मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएंगी तथा निर्वाचन अभिलेख के साथ सुरक्षित रखी जाएंगी.

(दो) धारा 48-ख की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार, किसी सोसाइटी में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों के आरक्षण के निर्धारण हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

(क) यदि सोसाइटी में अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सदस्यों की संख्या, सोसाइटी में इसके कुल सदस्यों के दो तिहाई से अधिक है तो ऐसे वर्गों के 50 प्रतिशत प्रतिनिधियों को एक सोसाइटी से दूसरी अन्य सोसाइटी को भेजा जाएगा.

(ख) किसी सोसाइटी से अन्य सोसाइटी को भेजे जाने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारण करने के पश्चात्, प्रथमत: उन सोसाइटियों, जिसको प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, के नाम उल्लिखित करते हुए पृथक् पर्चियां तैयार की जाएंगी और द्वितीयत: रिटर्निंग आफिसर, संचालक मण्डल/भारसाधक अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, इस प्रकार तैयार की गई पर्चियों की ऐसी संख्या, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित उन प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर निकाली जाएंगी.

(ग) उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी तथा रिटर्निंग आफिसर निकाली गई पर्ची पर, ''अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित'' अंकित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा पर्चियां, जो उपयोग में लाई गईं हैं मुहरबंद लिफाफे में रखी जाएंगी तथा निर्वाचन अभिलेख के साथ सुरक्षित रखी जाएंगी.

2. नियम 43 में, उपनियम (3-क) का लोप किया जाए.

3. नियम 59—क में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) अधिकरण में नियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति की दशा में, अधिकरण के अध्यक्ष को देय वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य परिलब्धियां—जब अधिकरण का अध्यक्ष, उस रूप में अपनी नियुक्ति के समय, जिला न्यायाधीश है और अध्यक्ष की अपनी अवधि के दौरान वह अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व उसे लागू निबंधनों और शर्तों के अनुसार जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होता है तो वह अपनी उस अवधि के पूर्ण होने तक जिस पर कि वह नियुक्त किया गया है, इस रूप में कार्य करता रहेगा और वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से, अंतिम आहरित वेतन तथा मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत तथा अंतिम वेतन से संगत ऐसे अन्य फायदों का ऐसी दरों पर, जो समय-समय पर जिला न्यायाधीश को अनुज्ञेय हों, पेंशन को कम करते हुए (जिसमें पेंशन का ऐसा भाग सम्मिलित है जो संराशिकृत किया जा सकता है) और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के, यदि कोई हों, समतुल्य पेंशन अपने वेतन तथा भत्तों के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा.

(दो) उपनियम (3) में, शब्द ''अधिकरण का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य'', के स्थान पर, शब्द ''अधिकरण का अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य'' स्थापित किए जाएं.

No. F-5-2-11-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 95 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Rules, 1962, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 23, in sub-rule (3), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ka) (i) The procedure for determination of reservation of the representatives of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a society shall be as under, in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (2) of Section 48 B:—

(a) The category wise determination for the numbers of representative to be sent in other society from a society shall be in the proportion of the members belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which shall not exceed 50 percent of the total numbers of representatives in all respect.

(b) After determination of the numbers of representatives to be sent from a society to another society belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, firstly the separate slips shall be prepared mentioning the names of societies to which the representative shall be sent and secondly the Returning Officer shall draw up such number of slips so prepared for equivalent number of those representatives reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, before the Board of Directors/Officer-inCharge/authorized officer, in the order as mentioned in paragraph (c).

(c) At first, the slip shall be drawn to such numbers of the representatives belonging to Scheduled Castes category so that the names of society which have been mentioned in such slips, in such societies representative of Scheduled castes category shall be elected and thereafter the slip shall be drawn to such number of the representatives belonging to Scheduled Tribe category, so that the names of society which has been mentioned in such slips in such societies representative of Scheduled Tribe Category shall be elected.

(d) The proceedings as taken up above shall be entered in the register and the Returning officer shall mark on the slip which is drawn as " reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes", as may be applicable, and shall sign over it and the slips which have been used shall be kept in the sealed envelope and shall be secured with the election record.

(ii) The procedure for detetmination of reservation of the representatives of Other Backward Classes in a society shall be as under, in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 48B:—

(a) If the number of member belonging to Other Backward Classes in the society is more than two-third of its total numbers in the society, 50 percent representatives of such classes shall be sent from one society to another society.

(b) After determination of the numbers of representatives to be sent from a society to another society belonging to Other Backward Classes, firstly the separate slips shall be prepared mentioning the names of societies to which the representative shall be sent and secondly the Returning Officer shall draw up such number of slips so prepared for equivalent number of representatives reserved for Other Backward classes, before the Board of Directors/Officer-in-charge/authorised officer.

(c) the proceedings as taken up above shall be entered in the register and the Returning officer shall mark on the slip which is drawn as " reserved for Other Backward Classes'', and shall sign over it and the slips which have been used shall be kept in the sealed envelop and shall be secured with the election record.

2. In rule 43, sub-rule (3-A) shall be omitted

3. In rule 59-A,—

(i) For sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" **(1) Salary, Allowances, Pension and other Perquisites Payable to the Chairman of the Tribunal in the Case of retirement during the term of appointment in the tribunal—**When chairman of the Tribunal, at the time of his appointment as such is a District Judge and during his tenure of Chairman, he retires from the post of a District Judge in accordance with the terms and conditions applicable to him prior to his appointment as Chairman, he shall continue as such till the completion of his tenure for which he has been appointed and from the date of retirement he shall be entitled to the last pay drawn and dearness allowance, interim relief and such other benefits appropriate to the last pay at the rates admissible from time to time to a District Judge, minus pension (including any portion of pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other retirement benefits, if any, as his pay and allowances.'';

(ii) in sub-rule (3), for the words "The Chairman and other members of the Tribunal'', the words "The Chairman and non-official members of the Tribunal'' Shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.